कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़।

फोन / फैक्स नं0 05964–226685 ई–मेलः– eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 739 / 03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दि0 19–11–2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषयः– **जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बड़ावे–धारी–बेल्तड़ी मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से क्वारबन मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/35678/2018)।**

महोदय

उपरोक्त विषय के क्रम में आपको अवगत कराना है कि पूर्व में लगी आपत्तियों का निराकरण करते हुये आपको इस कार्यालय के पत्रांक 677 / 03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दि0 23–10–2019 द्वारा प्रेषित की गयी थी। EDS दि0 19 नवम्बर, 2019 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, अल्मोड़ा द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु पूर्व प्रेषित प्रत्युत्तर की हार्ड कापी दो प्रतियों में पुनः प्रेषित की जा रही है कृपया अपने स्तर से हार्ड कापी मुख्य वन संरक्षक अल्मोड़ा, अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (02 नं0)।

भवदीय,

19/11

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि :– श्री हेमराज, सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़।

फोन / फैक्स नं0 05964–226685 ई–मेलः– eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 677 / 03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दि0 23 –10–2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषयः– **जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बड़ावे–धारी–बेल्तड़ी मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से क्वारबन तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.867 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/35678/2018)।**

सन्दर्भः– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक–8बी./यू.सी.पी./06/56/2019/ एफ0सी0/1349 दिनांक 20.09.2019।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा निर्देशित किया गया है कि "मुख्य ग्राम क्वारबन से आगे मोटर मार्ग बढ़ाया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार भू–संदर्भित डिजिटल मानचित्र के बिन्दु कं0 14 तक ही मार्ग निर्माण का पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।" उक्त के क्रम सानुरोध अवगत कराना है कि डिजिटल मानचित्र के बिन्दु क्र0 14 से आगे उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के अंतिम बिन्दु सागर, जोकि क्वारबन का ही एक तोक है, तक मो0मा0 की लम्बाई 1.825 किमी0 है। तोक सागर की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि यहां निवास कर रहे लोगों को किसी भी दिशा में जाना हो तो लगभग 1.5 किमी0 की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। जिस कारण किसी दुर्घटना से चोट लगने, गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय ले जाने एवं चलने में असमर्थ बीमार व्यक्तियों को लाने–ले–जाने का एक मात्र साधन डोली ही है।

पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानकों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 1.5 किमी0 परस्पर दूर स्थित बसावटों को जोड़कर क्लस्टर बनाते हुए बारहमासी सड़क से संयोजकता प्रदान करने का प्रावधान है। सागर तोक जो कि क्वारबन का ही हिस्सा है लगभग 1.5 किमी0 पैदल दूरी पर है। अतः मोटर मार्ग को अंतिम बिन्दु सागर तक निर्मित करना उचित एवं न्यायसंगत रहेगा। यदि मोटर मार्ग को सागर तोक तक नहीं निर्मित किया जाता है, तो क्वारबन को पूरी तरह से संयोजित नहीं माना जायेगा। मो0मा0 के प्रारंभिक बिन्दु से मो0मा0 के बिन्दु क्र0 14 तक 2.80 किमी0 की लम्बाई है, जिसमें 0.420 किमी0 लम्बाई में नापभूमि एवं 2.340 किमी0 लम्बाई में सिविल सोयम् भूमि है एवं क्वारबन के बिन्दु क्र0 14 से सागर तोक तक मोटर मार्ग की लम्बाई 1.825 किमी0 है जिसमें 0.535 किमी0 लम्बाई में नापभूमि एवं 1.290 किमी0 लम्बाई में सिविल सोयम भूमि है। अवगत कराना है कि सागर तोक तक मो0मा0 की मांग ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रबल रूप से की जा रही है। यह भी सूचनीय है कि ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या पी–17024/24/2017 **(TMS-355978)** दिनांक 25.04.2018 द्वारा लम्बाई 4.625 किमी0 हेतु लागत रू0 275.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावित मो0मा0 को बिन्दु क्र0 14 से आगे समरेखण के अनुसार अंतिम बिन्दु सागर तक निर्मित करने की अनुमति प्रदान कराने की कृपा करें।

भवदीय,

23/10/19

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

50 PMGSY

सेवा में
श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय
पी० एम० एस० जी० वाई पिथौरागढ़
जिला - पिथौरागढ़

विषय :- बड़ाबे, धारी बेलतड़ी 10 किलोमीटर से आगे ग्राम पंचायत क्वारबनक्वतोक सागर तक स्वीकृत मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत क्वार बन को स्वीकृत 4.6 किलोमीटर क्वारबन का तोक सागर तक स्वीकृत है।

महोदय सागर तोक से क्वारबन तक दूरी 1½ किलोमीटर है। तोक सागर की भौगोलिक स्थिति इतनी विकट है कि यहाँ निवास कर रहे लोगों को चार दिशाओं से किसी भी दिशा को जाना हो 1½ से 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़नी ही पड़ती है। महोदय किसी प्रकार की दुर्घटना से चोट लग जाने, गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो विकट व्यक्ति चलने में असमर्थ व्यक्ति हो उनको लाने ले जाने का एक मात्र उपाय डोली ही है।

महोदय हमारी लोकप्रिय सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर व्यक्ति तक मेडीकल सुविधा पहुँचे ऐसे विकट भौगोलिक परिस्थिति में निवास कर रहे लोगों को यातायात सुविधा न मिले तो लुभावने नारों का क्या औचित्य रह जाता है।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि सागर तोक के निवासियों की परेशानियों को मध्यनजर रख ले हुये ग्राम पंचायत क्वारबन का तोक सागर तक मोटर मार्ग निर्माण करवाने की महती कृपा कीजियेगा।

आपकी अति कृपा होगी।

भवदीय
समस्त सागर तोक निवासी

सुशील सिंह
Rawat
होशियार सिंह
शोभा रावत
दीपा रावत
पुष्कर सिंह

(Margin note:) [illegible] Sri [illegible] AE ... necessary action. [illegible] 04/10 ... E.E. 2/10

(Stamp:) अधिशासी अभियन्ता ... 1 50 PMGSY 07/10/2017

Singh

लीला देवी

रमेश सिंह

TARA Singh RAWAT

शेर सिंह रावत

पारवती देवी

अर्जुन सिंह

जायइन्ती देवी

DEEPA Devi

हीरा रावत

हीरा देवी

P.S RAWAT

Mamta Devi

S Rawat

जानकी देवी

Uttam Rawat

Geeta Devi

हेमा देवी

बिन्द्रा देवी

!

देव सिंह

राजन सिंह

सुरेश सिंह

लक्ष्मण सिंह

राजेश्वर सिंह रावत

कमला देवी

इन्द्रो देवी

दुर्गा देवी

कानमती देवी.

[illegible] भैन सिंह

लक्ष्मी देवी दलीप सिंह

नवीन सिंह

विक्रम सिंह

शोभा रावत

सुन्दर सिंह

हांसिंगार सिंह

[illegible] देवी

[illegible] सिंह

सुनिता देवी